

Duplicate Copy

07-Aug-2018

आदेश

तिथि

Aug 4 2018

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा बारामुडी थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
190	659	0 एकड़, 0.66 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
मधुसुदन गोप	पिता	इन्द्रलाल गोप

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 3864 दिनांक MMM d yyyyके द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
मधुसुदन गोप	पिता	इन्द्र लाल गोप

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुसंसा किया है।

राजस्व कर्मचारी एबम अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत हेतु अनुसंसा किया गया है अंत दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान 3रुपये

स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।


शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

PRAKASH KUMAR

अंचलाधिकारी धनबाद

मुनिता देवी



आवेदन की तिथि-15/01/14
 अधिसूचना तिथि-16/01/14
 निर्गत तिथि- 17/01/14

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या...246... (I) / 2013-14

आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
31/01/14	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती...<u>मुनिता देवी</u>..... पिता/पति...<u>श्री उदय शर्मा</u>..... साकिम...<u>बिदुमा</u> याना...<u>धनबाद</u>..... जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा...<u>जोयोमुडी</u>..... मौजा नं०...<u>83</u>..... खाता नं०...<u>20</u>..... प्लॉट नं०...<u>326</u>..... रकबा...<u>52.55</u>..... दलील सं०...<u>9589</u>..... दिनांक...<u>26/12/13</u>..... के द्वारा श्री/श्रीमती...<u>मन्मथ शर्मा</u>..... से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक...<u>17/01/14</u>..... को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">17/01/14 अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p> <p style="text-align: right;">7 16 19 7/5 मूल 11</p>
17/01/14	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भूमि रैयती खाते की है। <u>धनबाद जिला के जोयोमुडी</u> 2. जमाबंदी सं०...<u>1315</u>..... में विक्रेता के/खिन्ते के...<u>मन्मथ शर्मा</u>..... के नाम लगान से रसीद कट रहा है। 3. आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है। 4. निबंधन धनबाद/ कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तब-अन्तर मुदांक की राशि को कोषगार में जमा कर दलील को वैध बना लिया गया है। 5. प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को...<u>लेखित</u>..... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: right;">17/01/14 अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p> <p style="text-align: right;">17/01/14</p>

रे द्वारा फोटोकॉपी किया गया।
 लिपिक / टंकक

जायस अचरि पातोलाय
 21/01/14
 शशा संदीयक
 धनबाद

मुनिता देवी